भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board

RBA.No. 35 /2021

No.2021/ACII(CC)/37/7 e **New Delhi, dated 21.6.2021.**

Principal Financial Adviser,
All Zonal Railways.

Sub: Implementation of Workshop Accounts Management System (WAMS).

As you are aware, CRIS in coordination with Central Railway (the nodal Railway for Workshops Accounts Management System: WAMS) has developed the following modules under WAMS:

1. Incentive Module (CLW Scheme).
2. Incentive Tirupati Scheme out- turn basis.
3. Workshop General Register (WGR)
4. Workshop Manufacturing suspense (WMS)
5. Costing

Of these, the Incentive module has been implemented on most of the Zonal Railways. However, there are a few workshops viz. Samastipur WS (ECR), Rayanapadu workshop (SCR), Mancheswar (ECoR) , Wagon repair workshop Jhansi (NCR), Hubli Workshop (SWR), Bhopal (WCR) where this is yet to be implemented. Action may, therefore, be initiated expeditiously for implementation of the same, by these workshops governed by CLW scheme of incentive payment.

Further, immediate action is called for with regard to implementation of the Workshop General Register, Workshop Manufacturing Suspense and Costing modules. In this regard a **core team** may be formed at suitable level in each Zonal Railway for co-ordination with the nodal Railway as well as CRIS for implementation of the modules. The names of the members of the team may be advised to CRIS and Central Railway under advice to this office.

Kindly ensure strict compliance.

21/6/21

(Ajay Bartwal)
Joint Director Finance (CCA)
Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं.35/2021

सं.2021/एसी II (सीसी)/37/7 ई

नई दिल्ली, दिनांक 21.6.2021

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

विषय: कारखाना लेखा प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएएमएस) का कार्यान्वयन।

जैसाकि आप जानते हैं, मध्य रेलवे (कारखाना लेखा प्रबंधन प्रणाली: डब्ल्यूएएमएस के लिए नोडल रेलवे) के समन्वय से क्रिस द्वारा कारखाना लेखा प्रबंधन प्रणाली के तहत निम्नलिखित मॉड्यूल तैयार किए गए हैं:

1. इन्सेंटिव मॉड्यूल (सीएलडब्ल्यू योजना).
2. इन्सेंटिव तिरूपति स्कीम आउट-टर्न बेसिस.
3. कारखाना सामान्य पंजिका (डब्ल्यूजीआर)
4. कारखाना विनिर्माण उचंत (डब्ल्यूएमएस)
5. लागत निर्धारण

इनमें से, इन्सेंटिव मॉड्यूल को अधिकांश क्षेत्रीय रेलों में कार्यान्वित कर दिया गया है। बहरहाल, समस्तीपुर कारखाना (पूर्व मध्य रेलवे), रायनपाडु कारखाना (दक्षिण मध्य रेलवे), मंचेश्वर (पूर्व तट रेलवे), वैगन मरम्मत कारखाना झांसी (उत्तर मध्य रेलवे), हुबली कारखाना (दक्षिण पश्चिम रेलवे), भोपाल (पश्चिम मध्य रेलवे) जैसे कुछ कारखाने हैं जहां इनका कार्यान्वयन अभी किया जाना है। अत: इन कारखानों द्वारा इन्सेंटिव भुगतान की चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना योजना के कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाई शीघ्रता से आरंभ की जाए।

इसके अलावा, कारखाना सामान्य पंजिका, कारखाना विनिर्माण उचंत और लागत निर्धारण मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित है। इस संबंध में इन मॉड्यूलों के कार्यान्वयन के लिए नोडल रेलवे और क्रिस के समन्वय से प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में उचित स्तर पर **एक कोर टीम** का गठन किया जाए। टीम के सदस्यों के नाम क्रिस और मध्य रेलवे को सूचित किए जाएं और रेलवे बोर्ड को भी अवगत कराया जाए।

कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त निदेशक, वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड